भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1603

08.12.2015 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन

1603. श्री अंनतकुमार हेगड़े :
श्री एन. के. प्रेमचंद्रन :
श्री विष्णु दयाल राम :
श्रीमती अनुप्रिया पटेल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निर्वनीकरण, जल प्रबंध, कृषि उत्पादन के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परिणाम क्या हैं तथा पर्यावरण, वन, जल संसाधन एवं कृषि उत्पादन आदि पर जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है;

(ग) क्या सरकार पर्यावरणीय संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कार्यान्वयन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया और वर्ष 2010 में "जलवायु परिवर्तन और भारत : 4x4 आकलन - 2030 दशक के लिए एक सेक्टोरल और क्षेत्रीय विश्लेषण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी । इस अध्ययन में भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों नामश: हिमालयी प्रदेश, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य क्षेत्रों नामश: कृषि, जल, वन और मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया गया ।

इस अध्ययन में कुछ फसलों में नुकसान, वनों के संघटन में परिवर्तन और निवल प्राथमिक उत्पादकता सहित कृषि उत्पादन में परिवर्तन की परिवर्ती दर का अनुमान लगाया गया है । सभी क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टि-पात की घटनाओं के बढ़ने की संभावना है । हिमालयी क्षेत्र में जल संचय में वृद्धि होने का अनुमान है जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में इसके भिन्न-भिन्न रहने की संभावना है । नए क्षेत्रों में मलेरिया के फैलने की संभावना है और दीर्घ अवधि के लिए इसके संचरण में वृद्धि होने की आशंका है।

सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए जून, 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की है । एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणाली को सतत बनाने, वानिकी, कृषि और जलवायु परिवर्तन हेतु कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन शामिल हैं जिसमें ग्रीन हाऊस गैसों के उपशमन तथा पर्यावरण, वन, पर्यावास, जल संसाधनों और कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के अनुकूलन से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया गया है । सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से भी एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप और जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य के विशिष्ट मुद्दों के संगत राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार करने का अनुरोध किया गया है । अब तक 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली हैं ।

(ग) और (घ) भारत अनेक कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, अंतरराष्ट्रीय संधियों, बहुपक्षीय पर्यावरण करारों का एक पक्षकार है जैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), मरूस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी), जैविक विविधता संबंधी कन्वेंशन (सीबीडी), ओज़ोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों संबंधी मांट्रीयल प्रोटोकॉल, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा-पारीय संचलन और उनके निपटान को नियंत्रित करने संबंधी बेसल कन्वेंशन, आदि ।

******